Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- खैरथल तिजारा में आरोपिया आशा देवी पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा को 5,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 04 जून, 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपिया **आशा देवी पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा** द्वारा 5,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि एसीबी चौकी अलवर पर परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत कि गई कि परिवादी के पिताजी का देहान्त होने पर स्वयं व परिजनो के नाम इन्तकाल खुलवाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में उनके पिताजी का नाम सही करवाने की एवज में आशा देवी पटवारी पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा द्वारा 30,000/- रूपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी चौकी अलवर द्वारा दिनांक 25.05.2026 को सत्यापन करवाया जाने पर आरोपिया ने रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी से 10,000/- रूपये रिश्वत के लेना तथा 5,000/- रूपये की मांग और करना पाया गया।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी.चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपिया आशा देवी पटवारी, पटवार हल्का सांथलका तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा को परिवादी से 5,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि आरोपिया के बैग से बरामद की जा चूकी है।

आरोपिया से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।